उमा प्रचार

वर्ष १३,अंक ४८

जनवरी से मार्च २०१०

पंचायती राज में स्वंयसेवी

संस्थाओं की भूमिका
राजू कुमार

धुंध से बाहर निकलने की धुन
अनुज भट्ट

पंचायत समाचार

73वें संविधान संशोधन के बाद इस वर्ष मध्य प्रदेश में चौथा और छत्तीसगढ़ में दूसरा पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। इस साल देश के अन्य राज्यों के भी पंचायत चुनाव होने हैं। इस तरह पंचायत चुनावों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों, खासकर महिला प्रतिनिधियों की समस्यायें खत्म नहीं हो रही हैं।

पंचायतों का आरक्षण लगातार बदलते रहने से ज्यादातर प्रतिनिधि नए होते हैं। इन्हें पंचायत के काम–काज की जानकारी नहीं होती। ऐसे प्रतिनिधियों को लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त करने की जरूरत है। स्वैच्छिक संस्थायें यह काम बखूबी निभा सकती हैं।

पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और चुनाव सुधार में स्वैच्छिक संस्थाओं के महत्त्व के बारे में बता रहे हैं – राजू कुमार।

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ने से राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति तो बढ़ी है। लेकिन समाज ने उनकी इस उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इस अस्वीकृति के बीच भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है।

महिलाओं की इस कामयाबी का किस्सा सुना रहीं हैं – अनुजा भट्ट।

इसके साथ ही प्रस्तुत हैं कुछ अन्य समाचार।

पंचायती राज में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका

राजू कुमार

इस साल देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पंचायतों के चुनाव जनवरी में हो गए। इन दोनों ही राज्यों को 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायत चुनाव कराने का श्रेय हासिल है, तब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही भाग था। पंचायती राज संस्थाएं यानी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव और उनके कार्य दोनों ही स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे अधिकांश काम पंचायतों के माध्यम से होते हैं और स्वयंसेवी संस्थायें भी ग्रामीण और सामाजिक विकास का ही काम करती हैं।

इस तरह देखा जाए तो एक सशक्त पंचायती राज व्यवस्था में न केवल विकास की गति तेज होती है, बल्कि संगठनों एवं संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। मध्य प्रदेश में चौथे पंचायत चुनाव और छत्तीसगढ़ में दूसरे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब निर्वाचित प्रतिनिधि पदभार ग्रहण कर रहे हैं। चुनाव में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के हजारों प्रतिनिधियों को भी चुनाव में जीत मिली है, पर इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि पद ग्रहण करने के बाद वास्तविक चुनौतियों से उनका सामना होगा। पंचायती राज में पंचायतों का आरक्षण लगातार बदलता रहता है, ऐसे में आरक्षण की प्रक्रियाओं के कारण आधे से ज्यादा प्रतिनिधि नए होते हैं। इसमें भी निर्वाचित महिलाओं में दलितों और आदिवासियों में नए प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे प्रतिनिधियों को पंचायत के कामकाज को लेकर कई उलझनों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दबाव, समाज का असहयोगात्मक रवैया, विरोधियों के अड़ंगे आदि के कारण वे परेशान हो जाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अक्षम पाए जाने पर जन – प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी प्रावधान इसका एक कारण रहा। ऐसे माहौल में यह जरूरी है कि कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों को सशक्त करने का काम किया जाए। सरकार अपने स्तर पर उनके प्रशिक्षण का काम करती है, पर इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के कारण इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और जन–संगठनों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। उनकी सक्रियता के कारण ही अनारक्षित सीटों से भी वंचित वर्ग के लोग चुनाव जीत कर लोकतंत्र में सहभागी बन ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। पर सामान्य तौर देखने में यह आया है कि चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक दल निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं और जन–संगठनों में भी सक्रियता नहीं रह जाती। कुछ ऐसी संस्थायें हैं, जो पंचायती राज पर ही काम कर रही हैं, वे ही सक्रिय रहती हैं। पर चुनाव पूर्व संस्थाओं की सक्रियता से ज्यादा चुनाव बाद की सक्रियता की जरूरत है।

पंचायत के मुद्दे पर कार्यरत कई संस्थाओं ने दोनों ही प्रदेशों में स्वशासन अभियान चलाया। इसमें उन्हें कई जगह सफलता भी मिली और उनके प्रयासों से वंचित वर्गों में से कई ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पर ऐसे लोगों की सत्ता में भागीदारी ज्यादा नहीं हो सके, इसके लिए समाज के संपन्न और राजनीतिक रूप से सशक्त वर्ग द्वारा कई भ्रम फैलाए गए। स्वयंसेवी संस्थायें वंचित वर्ग को प्रशिक्षित भी करती हैं और सहयोग भी करती हैं।

कई महिला संगठनों और महिलाओं के लिए कार्यरत संस्थाओं ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिलों में महिलाओं के सम्मेलन किए। महिलाओं को

चुनाव लड़ने के लिए आगे करने में समाज अभी भी सहयोग नहीं करता, इसीलिए आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना और सहयोग करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम था। ग्रामीण विकास और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत चुनाव में सही लोगों का चुना जाना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इस काम में संस्थाओं ने पहल की, वहां अनारक्षित सीटों पर दलित और महिलाएं बड़ी संख्या में उम्मीदवार बन सके। कई जगहों पर संस्थाओं की पहल से ग्रामीणों ने जन घोषणा पत्र भी जारी किए। यहां तक कि ग्रामीणों ने उम्मीदवारों से सवाल–जवाब भी किए। उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में दबंग एवं भ्रष्ट उम्मीदवारों को हराने और पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर बटने वाली शराब और पैसे के खिलाफ अभियान चलाया। सभी संगठनों और संस्थाओं ने अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर गंभीरता दिखाई।

संस्थाओं और जन–संगठनों ने अपने–अपने तरीके से पंचायत चुनाव प्रक्रिया को मजबूती देने, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और चुनाव सुधार के लिए पिछले छह महीने में जो सक्रियता दिखाई, यदि वह आगे नहीं रही, तो सुदृढ़ एवं सशक्त ग्राम स्वराज का सपना साकार नहीं हो पाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जन–संगठनों के लिए अब यह जरूरी है, कि इन निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण, सहयोग के लिए कार्यक्रम आयोजित करें। इसके लिए जिन बातों को लेकर उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया था, उनके साथ मिलकर पंचायतों के विकास में सहयोगात्मक भूमिका निभाएं।

यह सर्वविदित है कि अधिकांश संस्थाओं को ग्रामीण विकास में योगदान के लिए ही अनुदान मिलता है। ऐसे में पंचायत और पंचायत प्रतिनिधियों से परे कैसे काम हो सकता है। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों और उनकी राजनीतिक सशक्ति के लिए संस्थाओं को आगे आना होगा। पंचायत के संसाधनों को बेहतर उपयोग और ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए भी यह जरूरी है कि निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों के कौशल विकास एवं पारदर्शी पंचायत व्यवस्था के लिए संस्थाएं काम करें।

देशबंधु से साभार

धुंध से बाहर निकलने की धुन

अनुजा भट्ट

महिलाएं हाशिए से बाहर आने की जद्दोजहद में हैं। इसीलिए संसद से लेकर सड़क तक – खबरों में वे हर जगह मौजूद हैं। ये खबरें सकारात्मक हैं और नकारात्मक भी। भंवरी देवी को अब भी न्याय नहीं मिला है, लेकिन उनके संघर्ष का नतीजा अब ग्राम पंचायतों में महिलाओं को दिए जा रहे पचास प्रतिशत आरक्षण के रूप में सबके सामने है।

महिलाएं सरपंच के तौर पर भले चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन जाति और धर्म के पाखंड के कारण अब भी उनको कोई पानी नहीं पिलाता। वे अपने लिए पानी का गिलास खुद भरती हैं। कुर्सियों पर विराजमान ऊंची जाति के लोगों के सामने उनको अब भी फर्श पर बैठना पड़ता है। एक स्त्री, दूसरी स्त्री से अपमानित होती है। यह सब जानकारी सर्वेक्षण से मिलती है।

अहमदाबाद के नवसृजन ट्रस्ट के अध्ययन के अनुसार आज भी पंचायतों में पानी की पेशकश करने जैसे सामान्य शिष्टाचार के मामले में भी 62.71 प्रतिशत निर्वाचित दलित सदस्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन निराशा के इन्हीं कुहासों को चीरकर अब यही महिलाएं आशा का संदेश लेकर भी आ रही हैं। बंधुआ मजदूर महिला सरपंच चुनी जाती है। अब उन्होंने भी अपने बल पर अपनी जमीन

तलाशने का काम शुरू कर दिया है। पंचायतों में महिलाओं के तैंतीस प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जिन अन्य राज्यों ने इसे लागू करने के संकेत दिए हैं – वे हैं त्रिपुरा, राजस्थान और कर्नाटक।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि जो भी राज्य इसे लागू करना चाहते हैं उनको पहले संविधान के अनुच्छेद 243–डी को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाना होगा। उस विधेयक के पारित हो जाने के बाद पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए मौजूदा तैंतीस प्रतिशत आरक्षण बढ़ कर पचास प्रतिशत हो जाएगा। यह आरक्षण सीधे भरी जाने वाली कुछ सीटों, पंयायत अध्यक्षों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पंचायत अध्यक्षों की सीटों के लिए लागू होगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने से राजनीति में अधिकाधिक महिलाओं के आगे आने का रास्ता खुलेगा। महिलाओं के सशक्तीकरण से पंचायतें और अधिक सक्षम और मजबूत होंगी।

अभी तक के नतीजों से महिलाओं की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। आरक्षण का लाभ तो उनको मिल ही रहा है। वे अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव जीतती हैं। प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में समाज के लिए कुछ करने की ललक है। वे बाहर की दुनिया देख रही हैं और उन बदलावों को अपने समाज में लाने की कोशिश कर रही हैं। अक्सर महिला प्रतिनिधियों के बारे में कहा जाता है कि परिवार के पुरुष उनको जिम्मेदारी नहीं निभाने देते। लेकिन कुछ संस्थाओं के सर्वेक्षण में आया है कि पुरुष नियंत्रण नहीं सहयोग और सहायता कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि महिलाएं असरदार तरीके से मामले उठाती हैं जैसे पोषण, पेयजल, स्वास्थ्य, जंगल बचाओ आदि।

महिलाओं के बारे में बनी नकारात्मक सोच के बारे में अनुभव की अपेक्षा सुनी–सुनाई बातें अधिक हैं। शुरुआती दौर में जब वे सरपंच बनी थीं तब पुरुषों के हाथ की कठपुतली मात्र थीं। पुरुष अपनी विरासत और ताकत को बढ़ाने के लिए उन्हें आगे कर देते थे। इसीलिए पंचायत में सरपंच पति जैसे जुमले सुनने को मिलने लगे। लोग यह कहने से भी नहीं चूके कि इनको बस रोटी बनाने दो, बच्चे पालने दो। महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकतीं। बहुत से राज्यों से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी आईं। लेकिन दूसरे कार्यकाल में महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास आया। उनको लगा कि वे अपने बल पर और अपनी सामूहिक एकता को बनाए रखकर सब कुछ हासिल कर सकती हैं।

उनकी इस सोच को विस्तार देने के लिए सरकारों ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। बिहार की आगाज एकेडमी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा 'इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' ने भी इस दिशा में सराहनीय काम किया है। इससे जुड़े आश नारायण राय कहते हैं कि मीडिया पेज –तीन, बॉलीवुड और फैशन में उलझा हुआ है। जमीन पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वह उसकी अनदेखी करता है। जब गांवों का अपना बाजार बनेगा तब मीडिया को इसकी जरूरत महसूस होगी। पंचायतों में महिलाओं की बदलती तस्वीर साफ दिखाई देगी।

पश्चिम बंगाल के बारे में यूनिसेफ के एक अध्ययन में कहा गया है कि पंचायतों में महिला आरक्षण कोटे की बदौलत महिला प्रतिनिधियों ने बिना कोटे की तुलना में जन सुविधाओं में ज्यादा निवेश किया है। इसी प्रकार अच्छी सड़कें भी दोगुनी बनीं। महिला प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा–खासकर, बाल स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया। इसी रिपोर्ट में यूनिसेफ ने कहा है कि महिला सरपंच होने से स्कूलों में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति के तौर पर लिंग भेद में तेरह प्रतिशत की कमी आई है।

अभी हाल में सरकार ने हर पंचायत में लोककर्मी नियुक्त करने का फैसला किया है। इसमें अनुसूचित जनजाति, जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय और उनके महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता आठवीं पास है। लोककर्मी का काम होगा मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की सूचना पंचायत को

देना। वह मजदूरों के लिए आवेदन पत्र भी लिखेगा और काम पा जाने के बाद उसका नियमित ब्यौरा रखेगा। 'ग्रासरूट' की पूर्व संपादक अन्नू आनंद का मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा। पंचायत में महिलाओं की बढ़ती भूमिका से दहेज, घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।

विभिन्न राज्यों से आई रिपोर्ट में हर राज्य की जरूरतें अलग–अलग हैं। बिहार के प्रतिनिधि मंडल का मानना है कि प्रशिक्षण के जरिए महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाए। गुजरात की आदिवासी महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत के भीतर एक छोटा समूह अविश्वास प्रस्ताव लाकर दलित, आदिवासी प्रतिनिधियों को हटा देता है। इसका फैसला ग्रामसभा करे न कि स्वार्थ से प्रेरित कुछ दबंग तबके। हरियाणा में महिलाएं खाप पंचायतों से परेशान हैं, क्योंकि ये समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रही हैं। खाप पंचायतें, पंचायत शब्द को बदनाम कर रही हैं।

उत्तराखंड के प्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य का अलग से पंचायत अधिनियम नहीं है। कर्नाटक में पंचायतों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। जिससे गरीब लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग पंचायतों को ई–पंचायत बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सभी विकास कार्य संबंधी जरूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जो अक्सर नहीं होती।

महिला पंच, सरपंच संगठनों ने इस बात का भी विरोध किया है कि महिला जन–प्रतिनिधियों के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य क्यों किया जाए ? ऐसी शर्त लागू हुई तो अधिकतर महिलाओं से उनके चुनाव लड़ने का संवैधानिक हक छिन जाएगा। एक तरफ तो महिला सशक्तीकरण के नाम पर पंचायती राज में पचास प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरिक्षत किए जा रहे हैं दूसरी तरफ आम महिला को शैक्षणिक आधार पर चुनाव लड़ने से रोकना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को चाहिए कि चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशी महिलाओं से शपथ पत्र भरवाया जाए कि वे चुनाव जीतने के बाद साक्षरता के बारे में गंभीरता पूर्वक सोचेंगी और साक्षर बनेंगी। सरकार को भी ऐसे साक्षर कार्यक्रम बनाने होंगे, जिसके लिए वे समय निकाल सकें।

आंकड़े भी यह स्पष्ट करते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व की भागीदारी बढ़ने के साथ–साथ विकास के मुद्दों पर जोर दिया जाने लगा है। अब पंचायतें केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं हैं। वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विशेषकर महिलाओं से संबंधित जननी सुरक्षा, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन, पालनहार के क्रियान्वयन में भी रुचि ले रही हैं। इसी प्रकार मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मिड–डे मील, पोषाहार आदि में पंचायतों की भागीदारी बढ़ने लगी है।

गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक के जरिए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए वोट डालना अनिवार्य कर दिया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस कदम को सराहनीय कहा जा रहा है। लेकिन भारत के संदर्भ में यह व्यावहारिक नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्रता है। कोई भी मतदाता वोट न डाल कर अपनी इस स्वतंत्रता को दर्शाता है। विश्व के बत्तीस देशों में अनिवार्य मतदान का प्रावधान है, लेकिन बीस देशों में ही यह लागू है। जहां–जहां यह अनिवार्य किया गया वहां मतदान नब्बे प्रतिशत तक हुआ। जब पचास प्रतिशत वोट पड़े और छब्बीस प्रतिशत वाला जीत जाए तो जो चौहत्तर प्रतिशत लोग हैं उनकी राय का क्या हो ? जिसके अंतर्गत वे किसी को भी पसंद नहीं करते।

ग्रामीण विकास संस्थान, आणंद आईआरएमए केंद्र सरकार के लिए दस राज्यों में पंचायती राज की हालत पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार कर रहा है – जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, बिहार और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। परियोजना की शोध सलाहकार कजरी मिश्र का कहना है कि यह रिपोर्ट अप्रैल 2010 तक केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। इसमें पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर किए गए कार्यों का विश्लेषण होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि राज्य किस तरह

केंद्र की योजनाओं पर अमल करते हैं। यह अध्ययन पंचायतों और सरकारों की उपलब्धियों और खामियों दोनों को सामने लाएगा।

जनसत्ता से साभार

राज्य समाचार

कर्नाटक : महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना

कर्नाटक सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना बना रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जगदीश शेट्टर ने 15 जनवरी को संवाददाताओं को बताया कि महिला आरक्षण में वृद्धि के लिए कानून संशोधन कर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। यह संशोधन विधान सभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम, तालुक और जिला पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, लेकिन मतदाता इससे भी ज्यादा संख्या में महिलाओं को चुन रहे हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

मध्य प्रदेश : सरपंची की नीलामी

संसद से लेकर पंचायत तक लोकतंत्र की बदहाली की नजीरें तो अक्सर देखने को मिल जाती हैं, पर जनतांत्रिक पद की नीलामी की ऐसी मिसाल शायद पहली बार देखने को मिली है। इंदौर से 35 किलोमीटर दूर रंगवासा गांव में यह मामला देखने में आया। यहां लगभग चौदह सौ मतदाताओं ने चार सौ ग्रामीणों की मौजूदगी में सरपंची को छह लाख पचपन हजार रुपए में नीलाम कर दिया।

यह अभूतपूर्व नीलामी पांच जनवरी को हुई। अगले दिन सरपंची के सोलह उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने के बाद कैलाश चौधरी ने स्थानीय मंदिर में नीलामी की रकम जमा करा दी। बाद में चौधरी ने बताया कि सरपंच चुनाव की इस प्रक्रिया से हर कोई संतुष्ट है, क्योंकि इसमें हर किसी की स्वीकृति थी। चुनाव में धन की बर्बादी होती है और दुश्मनी पैदा होती। चौधरी की नजर में इस तरह की नीलामी में बुराई क्या है?

नए सरपंच का कहना है कि हमने एक खास उद्देश्य के लिए चुनाव को टाल दिया, इसीलिए ग्रामीण संतुष्ट हैं। सत्ताईस वर्षीय चौधरी कहते हैं कि नीलामी की इस रकम को प्राचीन राम मंदिर के पुनर्निमाण में लगाया जाएगा। ग्रामीण इस मंदिर के लिए चंदा जुटा रहे थे, पर यह पर्याप्त नहीं था। यह नीलामी दो लाख से शुरू हुई थी। पंद्रह पंचों के पदों के लिए चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इन्हें भी नीलाम किया गया। न्यूनतम नीलामी इक्कीस सौ और पचपन सौ रखी गयी। इस विधान सभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण पटेल का कहना है कि यह कोई मुद्दा नहीं है कि गांव में लोकतंत्र की किस तरीके की जीत हुई है। किसी का नाम वापिस लेने के लिए कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नगर पंचायत के पार्षद पद की नीलामी दो लाख में हुई थी। इस रकम का खर्च धर्मशाला के लिए किया जाएगा। दतिया जिले में भी ऐसा उदाहरण देखने को मिला। शिवकुमार यादव ने सरपंच बनने के लिए दस लाख रुपए खर्च किए। इस पैसे का इस्तेमाल क्षेत्र के विकास में किया जाएगा।

भाजपा विधायक प्रेमनारायण ठाकुर का कहना है कि पदों की यह नीलामी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है।

जनसत्ता से साभार

उड़ीसा : पचास प्रतिशत महिला आरक्षण की घोषणा

उड़ीसा में 1990 के शुरुआती दशक में ही राज्य की तत्कालीन बीजू पटनायक सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया था। बीजू पटनायक को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को अपनाने में अग्रणी माना जाता है। इसीलिए राज्य में प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भुवनेश्वर में 6 मार्च, 2010 को पंचायती राज दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में सभी स्तरों पर महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15,000 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि 11 विभागों के 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जिनमें स्कूल और जन शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, पंचायती राज, मत्स्य पालन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शामिल हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिला परिषद की अध्यक्ष जिला आयोजना समिति के उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत समिति के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग की ब्लॉक–स्तरीय समिति के उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे और जिला परिषद के सदस्य संबंधित इलाके में उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन निकायों में सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर अधिकारियों को ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा।

प्रत्येक माह की एक निश्चित तारीख पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचात समिति और जिला परिषद की बैठकें आयोजित होंगी। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। राज्य की 30 जिला परिषदों, 314 पंचायत समितियों और 6,234 ग्राम पंचायतों में एक लाख से भी अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

पांच राज्य– बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही लागू कर चुके हैं। त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल की सरकारों ने भी इसी तरह का प्रावधान बनाने की दिशा में कदम उठाने की इच्छा व्यक्त की है।

साभार : पंचायती राज अपडेट,मार्च 2010

झारखंड : मई–जून में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद

झारखंड में यथाशीघ्र चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में संशोधन की रूपरेखा तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल को भेजा गया है। इससे राज्य में मई–जून, 2010 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने की संभावना है। झारखंड देश का एकमात्र राज्य है, जहां कानूनी विवाद के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं। पंचायती राज विभागों के सूत्रों ने बताया कि जिन चार संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, वे हैं – महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, चुनाव के निरीक्षण संबंधी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य चुनाव आयोग को अधिकार देना, जेपीए में शामिल किसी शब्दावली की परिभाषा और अर्थ के बारे में कोई विवाद होने पर जन–प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 को 'रेफर करना' और केंद्र सरकार को पंचायत (एक्सटेंशन टू शेडयूल्ड एरियाज) अधिनियम (पेसा), 1996 के प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था के उपाध्यक्ष पद को अनारक्षित करना। अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव कराने के लिए ये संशोधन जरूरी हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा इन संशोधनों को शीघ्र ही मंजूरी देने की आशा है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

राष्ट्रीय समाचार

पंचायत स्तर तक पहुंचाएंगे : क्रिकेट

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के अध्यक्ष सी. पी. जोशी ने कहा है कि राज्य में क्रिकेट को पंचायत स्तर पर पहुंचाने के लिए हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सहारा लेंगे। राजस्थान में जयपुर स्थित आरसीए एकेडमी में 3 जनवरी को हुई वार्षिक साधारण सभा की बैठक के बाद जोशी ने कहा, गांव में क्रिकेट की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आरसीए केंद्र को पंचायत एवं युवा क्रीड़ा अभियान (पाइका) और नरेगा जैसी योजनाओं का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा, पाइका योजना से जुड़ने के लिए हम जल्दी ही केंद्रीय खेल मंत्री एम.एस.गिल से चर्चा करेंगे।

पंचायत राज अपडेट से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।

संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : isstdel@isst-india.org

वेबसाइट : www.isst-india.org फोन : 91-11-24647873, 24653780